बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः—जल संसाधन विभाग के द्वारा संविदा पर नियोजित कर उपलब्ध कराये गये कनीय अभियंताओं में से सम्प्रति कार्यरत 40 (चालीस) कनीय अभियंताओं के कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने के फलस्वरूप उनकी सेवा अवधि संलग्न अनुलग्नक —1 में अंकित तिथि के अनुसार 1 (एक) वर्ष के लिए प्रतिमाह रू0 27000 मानदेय या पारिश्रमिक पुनरीक्षण समिति द्वारा समय—समय पर पुनरीक्षित पारिश्रमिक पर विस्तारित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

जल संसाधन विभाग के पत्रांक 7286 दिनांक 08.12.2011 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सेवा प्राप्त 78 (अठहत्तर) कनीय अभियंताओं (असैनिक) को विभागीय आदेश ज्ञापांक 268 दिनांक 26. 12.2011 द्वारा एवं जल संसाधन विभाग के पत्रांक—5268 दिनांक—01.08.12 द्वारा सेवा प्राप्त 28 (अठाईस) कनीय अभियंता (असैनिक) को विभागीय आदेश सं0—154—सह— पठित ज्ञापांक—3349 दिनांक—21.09.12 से विभिन्न जिला शहरी विकास अभिकरणों एवं नगर निकायों में संविदा के आधार पर पदस्थापित किया गया था। उनकी सेवा अवधि क्रमशः दिनांक 25.12.2012 एवं दिनांक—20.09.13 तक थी। पुनः विभागीय पत्रांक—1434 दिनांक—19.06.2013 द्वारा सभी कार्यरत कनीय अभियंताओं की नियोजन अवधि का विस्तार दिनांक—26.12.2012 से दिनांक—25.12.2013 तक (एक वर्ष के लिए) किया गया जिसकी अवधि दिनांक—26.12.2012 एवं दिनांक—25.12.13 को समाप्त हो गई।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 1718 दिनांक 06.05.2010 की कंडिका 2 (क) में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया था कि "संविदा पर नियोजित व्यक्तियों को पुनः 1 (एक) वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित किया जा सकेगा परन्तु उन्हें पुनः एकरारनामा संपादित करना होगा और यह एकरारनामा की तिथि से नया नियोजन माना जायेगा"।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0—17415 दिनांक—20.12.2012 द्वारा संविदा के आधार पर किए जाने वाले नियोजन पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी विभागों को इस सम्बन्ध में तैयार की जा रही नई नीति की प्रतीक्षा करने का निदेश दिया गया। पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0—8025 दिनांक—21.05.2013 द्वारा संविदा नियोजन पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त किया गया।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग में अभी तक कनीय अभियंताओं का संवर्ग नहीं है, परंतु विभाग में कनीय अभियंताओं के 201 पद स्वीकृत है। जिला शहरी विकास अभिकरणों एवं नगर निकाय में विभाग की विभिन्न योजनाओं (मुख्यमंत्री निश्चय योजना सहित) के कार्यान्वयन हेतु कनीय अभियंताओं की सेवा की नितान्त आवश्यकता है। उनके 1 (एक) वर्ष के लिए पुनर्नियोजन नहीं करने पर विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिहार के सभी जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) में पदस्थापित इन कनीय अभियंताओं के कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक—2914 दिनांक—24.09.14 एवं 3206 दिनांक—21.10.14 द्वारा इन अभियंताओं का अवधि विस्तार क्रमशः दिनांक—26.12.13 से 25.12.14 एवं दिनांक—21.09.13 से 20.09.14 तक की गई। तत्पश्चात् विभागीय संकल्प सं0—1710 दिनांक—30.03.15 द्वारा क्रमशः दिनांक—21.09.14 से 20.09.15 एवं दिनांक—26.12.14 से 25.12.15 तक। विभागीय संकल्प सं0—3100 दिनांक—16.05.16 द्वारा दिनांक—21.09.15 से 20.09.16 एवं दिनांक—26.12.15 से 25.12.16 तक तथा पुनः विभागीय संकल्प सं0—4012 दिनांक—14.06.17 द्वारा दिनांक—21.09.16 से 20.09.17 एवं दिनांक—26.12.16 से 25.12.17 तक विस्तारित की गई थी, जो समाप्त हो चुका है, परन्तु इन अभियंताओं की सेवा की आवश्यकता अभी भी विभाग को है।

5. अतः जल संसाधन विभाग के द्वारा संविदा पर नियोजित कर उपलब्ध कराये गये कनीय अभियंताओं में से सम्प्रति कार्यरत 40 (चालीस) कनीय अभियंताओं के कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने के फलस्वरूप उनकी सेवा अवधि नियोजन अवधि के निरन्तरता के क्रम में संलग्न अनुलग्नक—1 में अंकित तिथि के अनुसार 1 (एक) वर्ष के लिए प्रतिमाह रू0 27000 मानदेय या पारिश्रमिक पुनरीक्षण समिति द्वारा समय—समय पर पुनरीक्षित पारिश्रमिक पर विस्तारित किया जाता है।

ह0/—
(भरत झा)
निदेशक, नगरपालिका
प्रशासन—सह—अपर सचिव।

ज्ञापांकः–01/स्था0 (क0अ0)–04/15 /न0वि0 एवं आ0वि0/दिनांकः–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, नगरपालिका
प्रशासन–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांकः–01/स्था0 (क0अ0)–04/15 3837 /न0वि0 एवं आ0वि0/दिनांकः–23/07/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित सभी नगर निकायों एवं सभी जिला शहरी विकास अभिकरण/संविदा के आधार पर नियोजित संबंधित कनीय अभियंता (असैनिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, नगरपालिका
प्रशासन–सह–अपर सचिव।

अनुलग्नक–1
संविदा आधारित कार्यरत कनीय अभियंताओं (असैनिक) की सूची।

क्र0	जिला शहरी विकास अभिकरण का नाम	नाम	डूडा से अनुशंसित	सेवा विस्तार की अवधि
1	सहरसा	श्री उपेन्द्र कुमार	डूडा, सहरसा द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
2	सुपौल	श्री उमेश कुमार निराला	डूडा, सुपौल द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
3	कटिहार	श्री जय कुमार सिंह	डूडा, कटिहार द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
4		श्री रवि कुमार	डूडा, कटिहार द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
5	डुडा–2, पटना	श्री धमेन्द्र कुमार महतो	डूडा–2 द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
6		सुश्री सविता कुमारी	डूडा–2 द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
7	पूर्णियां	श्री कमल कुमार	डूडा, पूर्णियां द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
8		श्री चन्द्रभूषण	डूडा, पूर्णियां द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
9	छपरा (सारण)	श्री नवीन कुमार	डूडा, छपरा द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
10		श्री कुमार चन्द्रभूषण	डूडा, छपरा द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
11	दरभंगा	श्री सुनील कुमार	डूडा, दरभंगा द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
12	बेगूसराय	श्री रणधीर कुमार चौधरी	डूडा, बेगूसराय द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
13		श्री रवि कुमार	डूडा, बेगूसराय द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
14	गया	श्री जलज कुमार	डूडा, गया द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
15		श्री भूपेन्द्र कुमार	डूडा, गया द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
16		श्री सुबोध कुमार	डूडा, गया द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
17	मुजफ्फरपुर	श्री प्रमोद कुमार सिंह	डूडा, मुजफ्फरपुर द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
18		श्री भरत लाल चौधरी	डूडा, मुजफ्फरपुर द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
19	मधेपुरा	श्री दिनेश कुमार दास	डूडा, मधेपुरा द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
20	शिवहर	श्री कृष्ण कुमार चौधरी	डूडा, शिवहर द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
21	समस्तीपुर	श्री राजेश कुमार महेश	डूडा, समस्तीपुर द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
22	मधुबनी	श्री जय प्रकाश कुमार	डूडा, मधुबनी द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
23		श्री रवि रंजन कुमार	डूडा, मधुबनी द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
24	भागलपुर	श्री राजन कुमार	डूडा, भागलपुर द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
25		श्री ज्योति कुमार	डूडा, भागलपुर द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
26		श्री सुशांत कुमार	डूडा, भागलपुर द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
27	प0 चम्पारण, बेतिया	श्री रविरंजन कुँअर	डूडा, बेतिया द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
28		श्री जितेन्द्र कुमार	डूडा, बेतिया द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
29	शेखपुरा	श्री अविनाश कुमार सिंह	डूडा, शेखपुरा द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
30	डुडा–1, पटना	कुमारी मधु	डूडा–1 द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
31		श्री दिलीप पासवान	डूडा–1 द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
32	गोपालगंज	श्री प्रणव कुमार	डूडा, गोपालगंज द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
33	सिवान	श्री धीरज कुमार	डूडा, सिवान द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
34	वैशाली	श्री संजीव कुमार कामत	डूडा, वैशाली द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
35	भोजपुर (आरा)	श्री प्रतीक रविधर	डूडा, भोजपुर, आरा द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
36	रोहतास, सासाराम	श्री संतोष कुमार	डूडा, रोहतास द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
37	बांका	श्री सुरेश प्रसाद मंडल	डूडा, बांका द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
38	मुंगेर	श्री सबलू कुमार	डूडा, मुंगेर द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18
39	किशनगंज	मो0 मसलम अली	डूडा, किशनगंज द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	26.12.17 से 25.12.18
40	अररिया	श्री ललितेश कुमार	डूडा, अररिया द्वारा सेवा विस्तार की अनुशंसा	21.09.17 से 20.09.18

(अमृत लाल मीणा)

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन

–सह–अपर सचिव।